राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

सत्यमेव जयते

वैशाख 31, गुरूवार, शाके 1948- मई 21, 2026
Vaisakha 31, Thursday, Saka 1948- May 21, 2026

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

राजस्व (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 04, 2025

संख्या प.9(101)राज-1/2025-28565:- राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या--15) की धारा 16, में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत जिला कलक्टर, **जालोर** एवं राजस्व मण्डल अजमेर से प्राप्त प्रस्ताव/अनुशंषा के अनुरूप राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि **जालोर की तहसील चितलवाना, सायला एवं सांचौर** के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-7 में अंकित मजरों/ढ़ाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कॉलम संख्या-8 के अनुसार है :-

क्र. सं.	जिला / तहसील	ग्राम पंचायत / पंचायत समिति	मूल राजस्व ग्राम का विवरण			नवीन राजस्व ग्राम का विवरण			दूरी KM	शेष मूल राजस्व ग्राम	
			ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या 2011	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या 2011		क्षेत्रफल (है. में)	जनसंख्या 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	**जालोर / चितलवाना**	डूंगरी / चितलवाना	**डेला** LG Code 89494	658.84	685	**प्रेम नगर** Prem Nagar	**168.902**	**205**	**4**	**489.938**	**480**

2		खेजडियाली / चितलवाना	**खेजडियाली** LG Code 89537	3486.15	1142	**आशापुरा** Ashapura	**609.22**	**481**	**6**	**2876.93**	**661**
3	**जालोर / सायला**	सुराणा / सायला	**सुराणा** LG Code 89090	4305.23	8391	**नया सुराणा** Naya Surana	**2045.77**	**2580**	**3**	**2259.46**	**5811**
4	**जालोर / सांचौर**	खारा / सांचौर	**खारा** LG Code 89732	2873.34	5891	**आदर्श खारा** Adarsh khara	**1446.00**	**2972**	**1**	**1427.34**	**2919**
5	**जालोर / चितलवाना**	सिवाडा / चितलवाना	**झोटड़ा** LG Code 89609	697.69	811	**कोहलाणियों की ढ़ाणी** Kohlaniyo Ki Dhani	**147.994**	**234**	**5**	**575.846**	**598**
			शैराणियों की ढ़ाणी LG Code 89606	952.48	945					**926.33**	**924**

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 107 में निहित प्रवधानों के तहत उक्त मूल राजस्व ग्रामों एवं नवघोषित राजस्व ग्रामों के खसरा जमाबन्दी, नक्शे आदि अभिलेखों को पृथक कर उनके संधारण हेतु **जिला कलक्टर, जालोर** को अधिकृत किया जाता है। जिला कलक्टर उक्त ग्रामों के अभिलेखन कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को भी सूचित करेंगें।

आज्ञा से,

हरि सिंह मीना,

शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।